

कार्यालय  
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,  
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष / - 0124-2655406

दिनांक:- 20.1.23

क्रमांक:- 3754

सेवा में:-

उप वन संरक्षक,  
फरीदाबाद।

**विषय: Diversion of 13.684 ha. of forest land (closed under section 4 and 5 PLPA 1900) in favour of Manav Rachna International Institute of Resarch and Studies along Badkhal Surajkund Road R side under forest division and District Faridabad.**

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 964 दिनांक 04.01.2023

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आप द्वारा भेजी गई D.R, PLPA 1900 की धारा 4 व 5 के तहत बंद क्षेत्र की है, जबकि प्रयोक्ता एंजेसी द्वारा सुरक्षित वन भूमि का भी उपयोग किया गया है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि सुरक्षित वन क्षेत्र में चाक की गई D.R. की डिटेल् भी शीघ्र भेजी जाए ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,  
गुरुग्राम।